विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	परिकल्पना एंव मिशन	2
2.	भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम –1992 के प्रमुख प्रावधान	3
3.	आर.सी.आई. अधिनियम के तहत पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों की श्रेणियाँ	3
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण	5
5.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन	8
6.	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम	10
7.	केंद्रीय पुनर्वास पंजिका (सी.आर.आर.)	11
8.	श्रेणीवार पंजीकृत पेशेवर और कार्मिक	14
9.	सतत् पुनर्वास शिक्षा (सी.आर.ई.) कार्यक्रम	15
10.	आंचलिक समन्वय समितियां (जेड.सी.सी.)	16
11.	राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड	17
12.	(समुदाय आधारित समावेशी विकास (सी.बी.आई.डी.) प्रशिक्षण कार्यक्रम) आर.सी.आई., दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित	18
13.	पुस्तकालय और प्रलेखन	19
14.	प्रकाशन	19
15.	आर.सी.आई. की सार्वभौमिक सुलभ वेबसाइट	19
16	परिषद् की उपलब्धियां	20
17.	वैधानिक सलाह	23
18.	संपर्क सूत्र	24

परिकल्पना

मानव अधिकारों के प्रतिमान और समावेश के सिद्धांतों के आधार पर दिव्यांगजनो के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और समग्र पुनर्वास सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करने के एकमात्र और अंतिम उद्देश्य के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने वाले अभिसरण प्रयास को प्रतिबिंबित करने वाला एक सुविधाजनक वातावरण तैयार करना ।

मिशन

- सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से उभरते पुनर्वास पेशेवरों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जो समकालीन भारत में दिव्यांगजनो के जीवन चक्र की आवश्यकताओं को संबोधित करता है।
- शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, कौशल, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में समग्र सेवाओं की तैयारी और वितरण की दिशा में मानव और भौतिक संसाधनों के विकास में उच्चतम प्राप्य मानकों को बढ़ावा देना।
- दिव्यांगजनो के अधिकारों, गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने वाले पेशेवरों को तैयार करना।
- देश के असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान फोकस क्रॉस डिसेबिलिटी, समावेशन और बहु–क्षेत्रीय अभिसरण में प्रशिक्षण पर है, जो दिव्यांगजनो को अपने समुदायों में स्वतंत्र, गोपनीयता और उत्पादक रूप से जीने के लिए प्रेरित करता है।

पुनर्वास परिषद् की स्थापना विशेष शिक्षा तथा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में समरूपता, न्यूनतम मानकों और शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 31 जनवरी, 1986 के संकल्प सं. 22–17/83–एच.डब्ल्यू. III के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860) XXI के अंतर्गत की गई थी। संसद के अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 34) दिनांक 1 सितंबर, 1992 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया

जो दिनांक 22 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को और व्यापक बनाने के लिए, संसद द्वारा इसे वर्ष 2000 (2000 की संख्या 38) में संशोधित किया गया।

इस अधिनियम में पुनर्वास पेशेवरों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित एवं निगरानी करने, दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए उपचारात्मक या आकस्मिक चिकित्सा में अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा केंद्रीय पुनर्वास पंजिका (सी.आर.आर.) के रखरखाव के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् के गठन का उपबंध किया गया है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) पर हस्ताक्षर और पुष्टि करके, भारत ने भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम सहित सभी घरेलू कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस सम्मेलन ने दिव्यांगजनों के समावेशन को केंद्र में रखा है ताकि इस सम्मेलन के उपबंधों को सच्ची निष्ठा से लागू किया जा सके। तदनुसार, भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा विकसित और मानकीकृत विभिन्न पुनर्वास पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण और पाठ्यचर्याओं में लगातार संशोधन किया जा रहा है ताकि यू.एन.सी.आर.पी.डी. में किए गए संगत उपबंधों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अधिसूचना के साथ, दिव्यांगता की श्रेणियों को 07 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, इस प्रकार, अधिनियम में अधिसूचित दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के लिए मानव संसाधन विकास हेतु प्रावधान करने के लिए परिषद् की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परिषद् ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण में दिव्यांगता सम्बन्धी विशिष्ट सामग्रियों को शामिल करने और आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू कर दी है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के प्रमुख प्रावधान

1. दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित करना एवं उनकी निगरानी करना।
2. दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत विभिन्न श्रेणी के पेशेवरों/कार्मिकों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।
3. देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में एकरूपता लाने के लिए इन मानकों को विनियमित करना।
4. मंत्रालय को भारत में पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, आदि द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं की मान्यता से संबंधित सिफारिशें करना।
5. मंत्रालय को भारत से बाहर के संस्थानों द्वारा अर्हता की मान्यता के संबंध में सिफारिशें करना।
6. मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता धारक व्यक्तियों का केंद्रीय पुनर्वास पंजिका (सीआरआर) का रखरखाव करना।
7. अनुमोदित संस्थानों में सतत् पुनर्वास शिक्षा (सी.आर.ई.) कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।
8. पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

आरसीआई अधिनियम के तहत पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों की श्रेणियाँ

1.	श्रवण विज्ञानी और वाणी चिकित्सक
2.	नैदानिक मनोविज्ञानी
3.	श्रवण और कर्ण उपकरण तकनीशियन
4.	पुनर्वास अभियंता और तकनीशियन
5.	दिव्यांगजनों के शिक्षण और प्रशिक्षण करने के लिए विशेष शिक्षक
6.	दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले व्यावसायिक परामर्शदाता, रोजगार अधिकारी और नियोजन अधिकारी
7.	बहुउद्देश्यीय पुनर्वास चिकित्सक और तकनीशियन
8.	वाणी रोगविज्ञानी
9.	पुनर्वास मनोविज्ञानी
10.	पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता
11.	बौद्धिक दिव्यांगता में पुनर्वास चिकित्सक
12.	अनुकूलन और गतिशीलता विशेषज्ञ
13.	समुदाय आधारित पुनर्वास पेशेवर
14.	पुनर्वास परामर्शदाता/प्रशासक
15.	प्रोस्थेटिक्स विशेषज्ञ और ऑर्थोटिक्स विशेषज्ञ
16.	पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक
17.	समय–समय पर शामिल किए गए पेशेवरों की कोई अन्य श्रेणी

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण

भारतीय पुनर्वास परिषद् को पेशेवरों/कार्मिकों की आवंटित श्रेणियों के लिए पूरे देश में मानकीकरण, समान मानकों का विकास एवं उनको बनाए रखने के लिए अधिकृत किया गया है। इन श्रेणियों के तहत मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान में परिषद् द्वारा सम्पूर्ण देश में कुल 56 मानकीकृत, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी डिप्लोमा, मास्टर, एमफिल और मनोविज्ञान में पी.एच.डी. स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थानों/विश्वविद्यालय विभागों में किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	संक्षिप्त नाम	अवधि (वर्ष में)
दृष्टि दिव्यांगता			
1	कम्प्यूटर शिक्षा (दृष्टि बाधित) में डिप्लोमा	डीसीई (वी.आई.)	1
2	डी.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधित)	डी.एड.एस.ई. (वी.आई.)	2
3	बी.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधित)	बी.एड. एस.ई. (वी.आई.)	2
4	एम.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधित)	एम.एड.एस.ई. (वी.आई.)	2
श्रवण दिव्यांगता			
5	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (श्रवण बाधित)	डी.ई.सी.एस.ई. (एच.आई.)	1
6	डी.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित)	डी.एड.एस.ई. (एच.आई.)	2
7	भारतीय सांकेतिक भाषा और व्याख्या में डिप्लोमा	डी.आई.एस.एल.आई.	2
8	भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा	डी.टी.आई.एस.एल.	2
9	बी.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित)	बी.एड.एस.ई. (एच.आई.)	2
10	एम.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित)	एम.एड.एस.ई. (एच.आई.)	2
बौद्धिक अक्षमता			
11	शीघ्र हस्तक्षेप में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पी.जी.डी.ई.आई.	1
12	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (बौद्धिक दिव्यांगता)	डी.वी.आर. (आई.डी.)	1
13	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	डी.ई.सी.एस.ई. (आई.डी.)	1
14	डी.एड. विशेष शिक्षा (बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता)	डी.एड.एस.ई. (आई.डी.डी.)	3

15	बी.एड. विशेष शिक्षा (बौद्धिक दिव्यांगता)	बी.एड.एस.ई. (आई.डी.)	2
16	बी.एससी. (विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास)	बी.एससी (एस.ई.एण्ड रिहै)	3
17	एम.एड. विशेष शिक्षा (बौद्धिक दिव्यांगता)	एम.एड.एस.ई. (आई.डी.)	2
18	एकीकृत स्नातक स्नातकोत्तर – शिक्षा, विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर (बौद्धिक दिव्यांगता)	एकीकृत बी.एड.,– एम.एड. एस.ई (आई.डी)	3
अधिगम अक्षमता			
19	शिक्षा, विशेष शिक्षा में एकीकृत स्नातक स्नातकोत्तर (विशिष्ट अधिगम अक्षमता)	एकीकृत बी.एड.,– एम.एड. एस.ई (एस.एल.डी)	2
20	बी. एड. विशेष शिक्षा (अधिगम अक्षमता)	बी.एड.एस.ई. (एलडी)	
21	एम. एड. विशेष शिक्षा (अधिगम अक्षमता)	एम.एड.एस.ई. (एलडी)	2
प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स			
22	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में डिप्लोमा	डी.पी.ओ.	2
23	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातक	बी.पी.ओ.	4
24	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातकोत्तर	एम.पी.ओ.	2
समुदाय आधारित पुनर्वास			
25	समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा	डी.सी.बी.आर.	2
26	समुदाय आधारित पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पी.जी.डी.सी.बी.आर	2
27	समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम	सी.बी.आई.डी.	6 माह
पुनर्वास मनोविज्ञान			
28	पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नोतकोत्तर डिप्लोमा (मार्च, 2017 में संशोधित)	पी.जी.डी.आर.पी.	1
29	एम. फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान)	एम. फिल. (आर.पी.)	2
नैदानिक मनोविज्ञान			
30	नैदानिक मनोविज्ञान में व्यावसायिक डिप्लोमा	पी. डी. (क्लि. साइको.)	1
31	एम. फिल. (नैदानिक मनोविज्ञान)	एम. फिल. (क्लि. साइको.)	2
32	नैदानिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान डॉक्ट्रेट	साइको. डी. (क्लि. साइको)	4
वाक् एवं श्रवण			
33	श्रवण भाषा और भाषण में डिप्लोमा	डी.एच.एल.एस.	1

34	श्रवण साधन मरम्मत एवं ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	डी.एच.ए.आर.ई.एम.टी.	1
35	श्रवण विज्ञान एवं वाणी भाषा रोग चिकित्सा में स्नातक	बी.ए.एस.एल.पी.	4
36	श्रवण मौखिक उपचार पद्धति में स्नोतकोत्तर डिप्लोमा	पी.जी.डी.ए.वी.टी.	1
37	श्रवण विज्ञान में एम.एस.सी.	एम. एससी (ऑडियो.)	2
38	स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में एम.एस.सी.	एम.एससी (एस.एल.पी.)	2
39	वैकल्पिक एवं संवर्धनात्मक संचार में स्नोतकोत्तर डिप्लोमा	पी.जी.डी.ए.ए.सी.	1
गति एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
40	डी. एड. विशेष शिक्षा (बहु दिव्यांगता)	डी.एड.एस.ई.(एम.डी.)	2
41	बी.एड. विशेष शिक्षा (बहु दिव्यांगता)	बी.एड.एस.ई. (एम.डी.)	2
42	विकासात्मक चिकित्सा पद्धति (बहु दिव्यांगता शारीरिक एवं तंत्रिका तन्त्र) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पी.जी.डी.डी.टी. (एमडी : पी एण्ड एन)	1
43	एम.एड. विशेष शिक्षा (बहु दिव्यांगता) (प्रायोगिक आधार पर)	एम.एड.एस.ई. (एम.डी.)	2
स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
44	बी. एड. विशेष शिक्षा (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार)	बी.एड.एस.ई. (एएसडी)	2
45	एम. एड. विशेष शिक्षा (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार) (प्रायोगिक आधार पर)	एम.एड.एस.ई. (एएसडी)	2
पुनर्वास चिकित्सा पद्धति			
46	पुनर्वास चिकित्सा पद्धति में प्रमाण पत्र	सी.सी.आर.टी.	1
47	पुनर्वास चिकित्सा पद्धति में डिप्लोमा	डी.आर.टी.	2½
व्यावसायिक परामर्श और पुनर्वास सामाजिक कार्य			
48	पुनर्वास विज्ञान में स्नातक	बी.आर.एस.सी.	3
49	दिव्यांगता पुनर्वास एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पी.जी.डी.डी.आर.एम.	1
50	बाल मार्गदर्शन एवं परामर्श में उच्च स्तरीय डिप्लोमा	ए.डी.सी.जी.सी.	1
51	पुनर्वास विज्ञान में परास्नातक	एम.आर.एससी.	2

52	एम. एससी. (मनो–सामाजिक पुनर्वास)	एम.एससी. (साइको. – एसआर)	2
53	दिव्यांगता पुनर्वास प्रशासन में परास्नातक	एम.डी.आर.ए.	2
54	दिव्यांगता अध्ययन एवं कार्य में एम. ए. सामाजिक कार्य	एम.ए. (एसडब्ल्यूडीएस)	2
देखरेख प्रदाता			
55	देखरेख प्रदायगी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	सी.सी.सी.जी.	10 माह
समावेशी शिक्षा			
56	कला स्नातक/वाणिज्य स्नातक/विज्ञान स्नातक/बी.एड., विशेष शिक्षा में स्नातक	बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी, बी.एड. एस.ई.	4

पात्रता/प्रवेश मानदंडए प्रवेश समय सारणी आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in का अवलोकन करें।

प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन

परिषद् विशेष शिक्षा एवं दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नीतिगत मानदंड निर्धारित करती है और सभी संस्थानों को भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992 के प्रावधान के अनुसार भारतीय पुनर्वास परिषद्, से अनुमोदन लेना होता है।

ऐसी संस्थाएं जो विशेष शिक्षा एवं दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री/डप्लोमा/प्रमाणपत्र स्तर के कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है उन्हें अनुमोदन के लिए परिषद् को आवेदन करना चाहिए।

संस्थानों को विशेष शिक्षा एवं दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति के लिए परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त निरीक्षण दल द्वारा उनकी आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद विचार किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के अन्दर उचित माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर निरीक्षण दल की नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, बशर्ते अन्य निर्धारित मानदंड पूरे हों। ऐसे संस्थानों की अद्यतन सूची परिषद् की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in पर उपलब्ध है।

वर्तमान में परिषद् द्वारा अनुमोदित कुल 681 प्रशिक्षण संस्थान हैं जो अपने विभाग में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, एमफिल और डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। राज्यवार प्रशिक्षण संस्थानों की विस्तृत सूची, उनका संपर्क नंबर, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर परिषद् की वेबसाइट http://www.rehabcouncil.nic.in/writereaddata/approved_1nst.pdf पर उपलब्ध है और इसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में शुरू होते हैं। संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में जानने के लिए परिषद् की वेबसाइट देखें जहां अनुमोदित पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं। संस्थानों की सूची में सभी

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश का भी उल्लेख किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकरण के लिए पात्र हैं। योग्यताएं जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं या भारत में विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा प्रदान की गई कोई भी योग्यताए जिसे परिषद् द्वारा पूर्व अनुमोदन नहीं है, को आर.सी.आई. अधिनियम 1992 के तहत परिषद् की केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले इन शर्तों को सुनिश्चित कर लें, जो परिषद् के दायरे में हैं।

प्रशिक्षण संस्थानों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	24
2	अरुणाचल प्रदेश	4
3	असम	4
4	बिहार	10
5	चंडीगढ़	5
6	छत्तीसगढ़	10
7	दिल्ली	29
8	गोवा	2
9	गुजरात	14
10	हरियाणा	41
11	हिमाचल प्रदेश	6
12	जम्मू और कश्मीर	3
13	झारखंड	16
14	कर्नाटक	31
15	केरल	33
16	मध्य प्रदेश	30

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या
17	महाराष्ट्र	51
18	मणिपुर	3
19	मेघालय	1
20	मिजोरम	2
21	ओडिशा	31
22	पुडुचेरी	2
23	पंजाब	14
24	राजस्थान	68
25	तमिलनाडु	37
26	तेलंगाना	18
27	त्रिपुरा	1
28	उत्तराखंड	3
29	उत्तर प्रदेश	156
30	पश्चिम बंगाल	32
	कुल	**681**

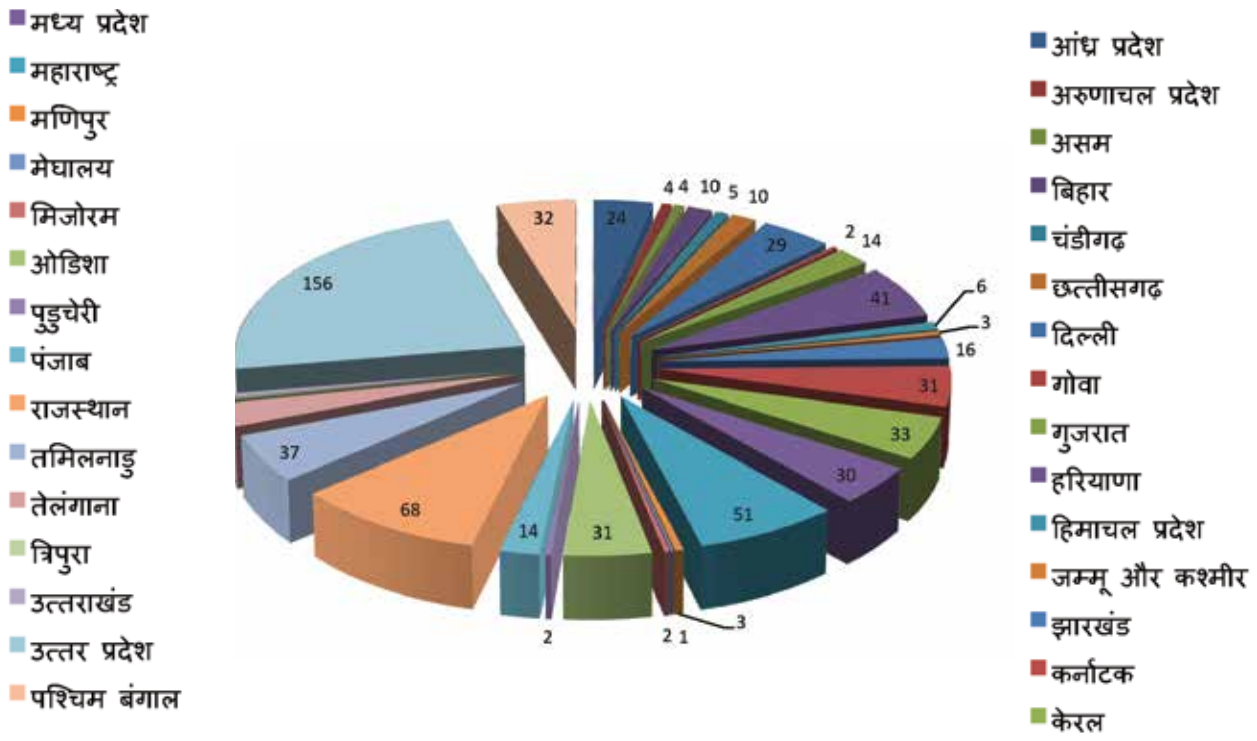

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

परिषद् को विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों/कार्मिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है । दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आवश्यकता आधारित विशेष शिक्षा कार्यक्रम परिषद् द्वारा वर्ष 2001 में, विभिन्न दिव्यांगताओं में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू किए गए थे। ।

बी.एड., विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम जिसकी अवधि 2½ वर्ष है मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है।

क्र.सं.	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय/केंद्रीय विश्वविद्यालय
1.	मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, राजा भोज मार्ग, कोलार, रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश–462016
2.	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, शांतिपुरम आवास योजना (सेक्टर–एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211013
3.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, CF-162, सेक्टर–1, बिधान नगर, साल्टलेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700064
4.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ''ज्योतिर्मय'' परिसर, ऑप श्री बालाजी मंदिर, सरखेज–गांधीनगर राजमार्ग, छरोड़ी, अहमदाबाद, गुजरात–382481

क्र.सं.	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय/केंद्रीय विश्वविद्यालय
5.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, विश्वविद्यालय मार्ग, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखंड–263139
6.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, नं. 577, अन्ना सलाई, साईदापूट, चैन्नई, तमिलनाडु–600015
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, प्रो. जी. राम रेड्डी मार्ग, रोड नं. 46, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना–500033
8.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, ज्ञानगंगोत्री, गंगापुर बांध के पास, नासिक, महाराष्ट्र–422222
9.	नार्थ–ईस्टर्न हिल्ल विश्वविद्यालय, बिजनी कॉम्प्लेक्स, शिलांग, मेघालय–793022

पाठ्यक्रमों के संबंध में अद्यतन जानकारी के लिए, संभावित उम्मीदवार संबंधित विश्वविद्यालयों/आरसीआई की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीय पुनर्वास पंजिका (सी.आर.आर.)

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास में आर.सी.आई., द्वारा अनुमोदित योग्यता रखने वाले पेशेवरों/कर्मियों के पंजीकरण के लिए परिषद् द्वारा एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका (सी.आर.आर.) का रखरखाव किया जा रहा है। उम्मीदवारों को केंद्रीय पुनर्वास पंजिका (सी.आर.आर.) में ई–पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, बशर्ते उसके पास भारतीय पुनर्वास परिषद्, द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों से निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। ई रेजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने का लिंक http://rciregistration.nic.in/rehabcouncil/ है।

भारतीय पुनर्वास परिषद्, अधिनियम, 1992 की धारा 19 में कहा गया है कि:–

भारतीय पुनर्वास परिषद्, अधिनियमए 1992 की धारा 19 के अनुसार पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों के लिए विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अभ्यास करने से पहले एक अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख से 6 महीने के भीतर परिषद् के सी.आर.आर. में नामांकन करना अनिवार्य है। अन्यथा उनसे पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समय–समय पर परिषद् द्वारा लगाया गया जुर्माना शुल्क लिया जाएगा।

पंजीकरण शुल्क

परिषद् हितधारकों को संबंधित शुल्क भुगतान केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

क्र. सं.	पंजीकरण की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क	संशोधित शुल्क (रु.) (1 अप्रैल 2017 से प्रभावी)
1.	नवीन पंजीकरण	1000
2.	योग्यता का संयोजन	1000
3.	पंजीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति हेतु	1000
4.	प्रमाणपत्र में सुधार (नाम, पता, आदि का संशोधन)	500
5.	पंजीकरण का नवीनीकरण	500
6.	गुडस्टैंडिंग प्रमाण पत्र	1500
7.	विदेशी प्राधिकारियों/एजेंसियों से प्राप्त सीआरआर का सत्यापन	3000

परिषद् में पंजीकरण के लिए भुगतान अन्य तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण का नवीनीकरण

सभी पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करें अन्यथा पंजीकरण प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा। पेशेवरों/कार्मिकों को सलाह दी जाती है कि वे 5 वर्षों की अवधि के भीतर आर.सी.आई., द्वारा अनुमोदित सतत् पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम (कार्यशाला/सम्मेलन/सेमिनार/वेबिनार) के माध्यम से 100 सी.आर.ई अंक प्राप्त करें। पेशेवरों/कार्मिक विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सी.आर.ई./सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। सी.आर.ई. कार्यक्रम में प्रतिभाग सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर परिषद् द्वारा सी.आर.ई क्रेडिट अंक आवंटित किए जायेंगे।

श्रेणीवार पंजीकृत पेशेवर और कार्मिक

क्र.सं.	श्रेणी	पंजीकृत पेशेवर और कर्मियों की संख्या
1	ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट	9793
2	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	2250
3	हियरिंग एड और ईयर मोल्ड तकनीशियन	30

4	पुनर्वास इंजीनियर और तकनीशियन	12
5	दिव्यांगजनों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षक	119796
6	व्यावसायिक परामर्शदाता रोजगार अधिकारी और दिव्यांगजनों से संबंधित नियुक्ति अधिकारी	318
7	बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक, तकनीशियन	653
8	भाषण और श्रवण तकनीशियन	3850
9	पुनर्वास मनोवैज्ञानिक	2465
10	पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता	675
11	बौद्धिक दिव्यंगता में पुनर्वास पेशेवर	214
12	अभिविन्यास और गतिशीलता विशेषज्ञ	264
13	समुदाय आधारित पुनर्वास पेशेवर	1722
14	पुनर्वास परामर्शदाता/प्रशासक	370
15	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स	2477
16	पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक	7
17	अन्य	14991
	कुल	**162536**

श्रेणीवार पंजीकृत पेशेवरों और कार्मिकों की संख्या

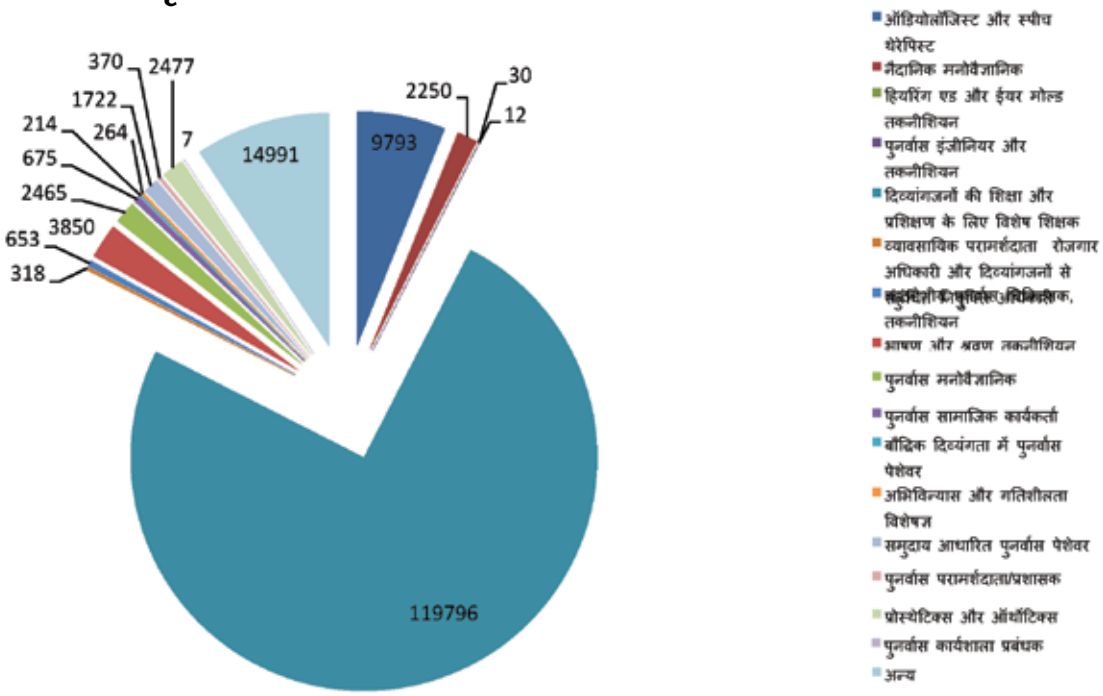

वर्षवार पंजीकृत पेशेवरों और कार्मिकों की स्थिति

वर्ष	पेशेवर	कार्मिक	कुल	संचयी योग
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
2001-02	577	3371	3948	20118
2002-03	399	1715	2114	22232
2003-04	502	1690	2192	24424
2004-05	485	1411	1896	26320
2005-06	831	1273	2104	28424
2006-07	1092	1757	2849	31273
2007-08	2098	4176	6274	37547
2008-09	2348	3744	6092	46639
2009-10	3126	4081	7207	50846
2010-11	4590	4101	8691	58281
2011-12	4459	4891	9350	68982
2012-13	5022	4569	9591	78514
2013-14	6007	6032	12039	90553
2014-15	6809	5279	12088	102641
2015-16	6171	3996	10167	112808
2016-17	4342	4542	8884	121692
2017-18	3150	4674	7824	129516
2018-19	3786	6117	9903	139419
2019-20	4824	5654	10478	149897
2020-21	3191	5494	8685	158582
अगस्त, 2021	1591	2363	3954	162536

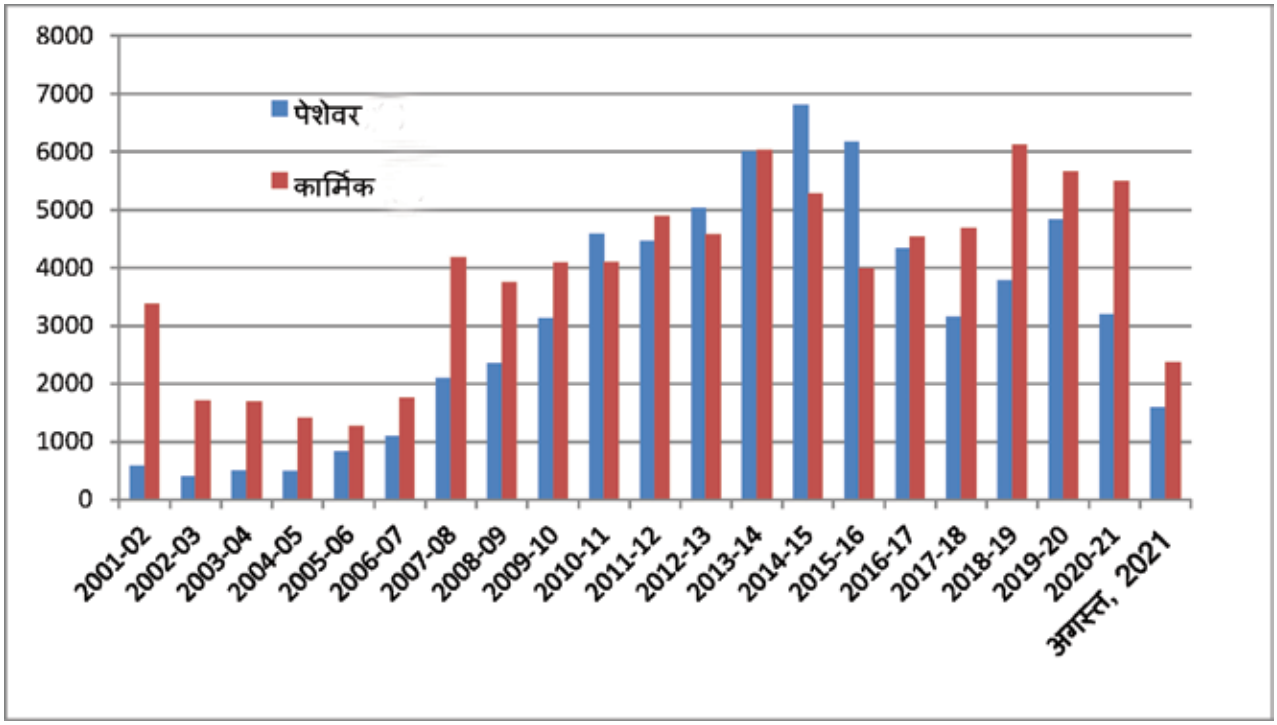

सतत् पुनर्वास शिक्षा (सी.आर.ई.) कार्यक्रम

(कार्यशाला/संगोष्ठी/वेबिनार/सम्मेलन)

भारतीय पुनर्वास परिषद् विशेष शिक्षा एवं दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास, मानकीकरण और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त परिषद् की यह सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि इन क्षेत्रों के पेशेवर निरंतर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करें। सतत् पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्य और इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए मानदण्ड एवं दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं:

- आरसीआई अधिनियम 1992 की धारा 19 के तहत आरसीआई के साथ पंजीकृत, सेवारत और अभ्यास करने वाले पुनर्वास पेशेवरों/कर्मियों के ज्ञान और कौशल को उन्नत करना।
- दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत मास्टर प्रशिक्षकों के पेशेवर ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना।

सामान्य दिशानिर्देश:

1. किसी भी सी.आर.ई कार्यक्रम में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, किसी भी सी.आर.ई. कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए।
2. जिन विषयों पर सी.आर.ई. कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, वे परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संस्थान उन विषयों पर सी.आर.ई. कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतंत्र हैं जो इन सूचियों में नहीं हैं, लेकिन संस्थानों को इस तरह के सी.आर.ई. कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरी तरह से उचित ठहराना होगा।

3. आयोजन करने वाले संस्थान आरसीआई को राष्ट्रीय स्तर पर सीआरई कार्यक्रम/वेबिनार के लिए 3500/– रुपये की गैर–वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए 5000/–रुपये का भुगतान करेंगे, जिसमें मानदंडों के अनुसार प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या होगी।

4. सीआरई क्रेडिट पॉइंट आम तौर पर एक दिन में वास्तविक प्रशिक्षण के 6 पॉइंट प्रदान किए जाते हैं। सीआरई कार्यक्रम 1–5 दिनों की अवधि का हो सकता है।

पुनर्वास पेशेवर/कार्मिक जो सीआरई कार्यक्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उन प्रशिक्षण संस्थानों की सूची देखें जहां सीआरई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीआरई कार्यक्रम का विवरण अनुमोदित विषय, प्रवेश, स्वीकृत संस्थान, समन्वयकों के संपर्क विवरण समय–समय पर परिषद् की वेबसाइट पर अपडेट किए जा रहे हैं।

लिंक. http://www.rehabcouncil.nic.inf/orms/Sublink1.aspx?lid=1036 का उपयोग करके इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आंचलिक समन्वय समितियां (जेडसीसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी

भारतीय पुनर्वास परिषद् ने गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आंचलिक समन्वय समितियों की स्थापना करके जमीनी स्तर के पदाधिकारियों तक पहुंचने का एक अनूठा तरीका अपनाया है। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता की निगरानी के लिए परिषद् ने 14 आंचलिक समन्वय समितियों का गठन किया है जो अपने.अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह विभिन्न अल्पकालिक कार्यक्रमों कार्यशाला संगोष्ठी आदि की निगरानी करता है। जो उनके क्षेत्रीय संस्थानों में सी.आर.ई स्थिति के साथ आयोजित किए जाते हैं। आंचलिक समन्वय समितियों की संख्याए आंचलिक समन्वय समितियों के मुख्य समन्वयकों का विवरण, - http://www.rehabcouncil.nic.inf/orms/Sublink1.aspx?lid=801.k पर उपलब्ध है।

उद्देश्य

- परिभाषित कार्यों को करने के लिए परिषद् का एक आउटरीच विस्तार करना।
- आरसीआई द्वारा अनुमोदित संगठनों और पेशेवरों/कार्मिकों से संबंधित परिषद् के निर्देशानुसार जानकारी प्रदान करने और पूछताछ आदि करने में आर.सी.आई. को सुविधा और सहायता करना।

आंचलिक समन्वय समितियों का आवृत्त क्षेत्र

क्र. सं.	क्षेत्र	राज्य
1.	उत्तर पूर्वी -I	असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय
2.	उत्तर पूर्वी -II	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा

क्र. सं.	क्षेत्र	राज्य
3.	पूर्वी -I	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
4.	पूर्वी -II	बिहार, झारखंड
5.	मध्य -I	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
6.	मध्य - II	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
7.	उत्तरी -I	पंजाब, चंडीगढ़
8.	उत्तरी -II	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
9.	उत्तरी -III	हरियाणा, दिल्ली
10.	पश्चिमी -I	गुजरात, राजस्थान, दमन और दीव
11.	पश्चिमी -II	महाराष्ट्र, गोवा, दादर – नागर हवेली
12.	दक्षिणी -I	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
13.	दक्षिणी -II	केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप
14.	दक्षिणी -III	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार

राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड

राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2006 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है। राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड, भारतीय पुनर्वास परिषद् के एक सम्बद्ध निकाय के रूप में कार्य करता है। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 29 की उप–धारा (के) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या – एफ. संख्या 5–62/93–आर.सी.आई. दिनांक 8 जून, 2014 के तहत परीक्षाओं के संचालन के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया था। इन विनियमों को भारतीय पुनर्वास परिषद् (परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की योग्यता और प्रवेश की शर्त) विनियम, 2014 कहा जा सकता है।

अखिल भारतीय ऑनलाइन योग्यता परीक्षा (एआईओएटी) का आयोजन

डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय ऑनलाइन योग्यता परीक्षा के माध्यम से पूरे देश में किया जा रहा है जो आम तौर पर हर साल मई या जून के महीने में आयोजित किया जाता है। हालांकि, प्रमाणपत्र स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं है, जिसके लिए पात्रता की शर्त किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास है।

अखिल भारतीय ऑनलाइन योग्यता परीक्षा का उद्देश्य संभावित उम्मीदवारों की शिक्षण योग्यता और दक्षता का आकलन करना है।

प्रमाणपत्र और डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण पूर्व में पृष्ठ संख्या 5–9 में उल्लिखित है।

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार ने भारत में दिव्यांगता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त रूप से विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के समाज सेवा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ओर से, परिषद् ने दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के लिए मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एक सी.बी.आई.डी. कार्यक्रम विकसित करने की पहल की है।

पिछले 02 वर्षों में कई बैठकों के बाद, आर.सी.आई. ने भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ देश का पहला योग्यता आधारित 06 माह का सीबीआईडी कार्यक्रम विकसित किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों द्वारा दिव्यांगजनों को उनके समुदाय के भीतर पुनर्वास और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करने के लिए तैयार करना है। ताकि एक समावेशी वातावरण निर्मित हो सके। परिषद् ने निम्नलिखित प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी में विकसित की है और क्षेत्रीय भाषाओं; जैसे तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, गारो, बंगाली, ओडिया, तेलुगु में सामग्री का अनुवाद प्रस्तावित है।

i. कार्यक्रम अवलोकन

ii. पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या

iii. फैसिलिटेटर गाइड चरण– I

iv. फैसिलिटेटर गाइड चरण– II

v. फैसिलिटेटर गाइड चरण– III

vi. प्रशिक्षकों के लिए व्याख्यात्मक नोट्स

कार्यक्रम का आभाषी उद्घाटन माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था। देश भर के 16 आर.सी.आई अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों (6 राष्ट्रीय संस्थानों, 1 सी.आर.सी., 1 राज्य संस्थान और 8 एनजीओ सहित) में सितंबर, 2021 से सी.बी.आई.डी. कार्यक्रम का पहला बैच शुरू करने के लिए भी औपचारिकताये जैसे विज्ञापन प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन, प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

कार्यक्रम के सफल समापन पर, प्रमाणित सी.बी.आई.डी कर्मियों को '**दिव्यांग मित्र**' कहा जाएगा जो दिव्यांगजनों को उनके पुनर्वास और मुख्यधारा में लाने के लिए पुनर्वास और रेफरल सेवाएं प्रदान करेंगे। '**दिव्यांग मित्र**' अपने समुदाय में ही दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगें।

पुस्तकालय और प्रलेखन

पेशेवरों/शोधकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकों का एक विस्तृत संग्रह वाला पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र परिषद् में संचालित है। पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10:30 पूर्वाह्न से 4:30 अपराह्न के मध्य लिया जा सकता है।

प्रकाशन

परिषद् समय–समय पर विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रकाशन निकालती है। परिषद् के कुछ नियमित मूल्य वाले प्रकाशन हैं:–

(1) जर्नल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (जेआरसीआई)

(2) भारत में दिव्यांगता की स्थिति

(3) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण सामग्री

(4) सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सरकारी पदाधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम पर मैनुअल

(5) परिकल्पना दस्तावेज 2020–2030

(6) वार्षिक विवरण

(7) आर.सी.आई. पर सूचना पुस्तिका

(8) सी.बी.आई.डी. कार्यक्रम के लिए शिक्षण सामग्री

ये सभी प्रकाशन परिषद् की वेबसाइट पर ई–फॉर्म में भी उपलब्ध हैं। परिषद् शीघ्र ई–जर्नल प्रकाशित करने की प्रक्रिया में है।

आरसीआई की सार्वभौमिक सुलभ वेबसाइट

भारतीय पुनर्वास परिषद् की डब्ल्यू 3 सी 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए एक सार्वभौमिक सुलभ वेबसाइट है। वेबसाइट भारतीय पुनर्वास परिषद् की विभिन्न गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी देती है जैसे:

- प्रशिक्षण/कार्यक्रम संस्थानों की सूची ।
- नवीन प्रस्तावों और पूर्व से अनुमोदित प्रस्तावों के विस्तार के लिए ऑनलाइन पोर्टल ।
- केंद्रीय पुनर्वास पंजिका (सी.आर.आर.) का विवरण ।
- सतत् पुनर्वास शिक्षा (सी.आर.ई.) कार्यक्रम की सूची ।
- सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) ।

- भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई अधिनियम 1992)–संशोधन और विनियम ।
- आर.सी.आई. ऑनलाइन भुगतान गेटवे लिंक ।
- यू ट्यूब चौनल पर पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, आर.सी.आई. के विज्ञापन और कई अन्य प्रासंगिक जानकारी जिन्हे प्राप्त किया जा सकता है

वेबसाइट का महत्वपूर्ण लिंक www.rehabcouncil.nic.in है। परिषद् की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आर.सी.आई. के बारे में नवीनतम जानकारी को अद्यतन करने के लिए सूचना को देखें।

वर्ष 2019 से परिषद् की उपलब्धियां

प्रथम योग्यता आधारित समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) कार्यक्रम जो भारतीय पुनर्वास परिषद् और मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और सितम्बर 2021 से इसका संचालन किया जा रहा है।

- 3 छह दिवसीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं सहित 22 बैठकों का आयोजन
- हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास
- भारत और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का दिनांक 19 मई 2021 को वर्चुअल लॉन्च
- 16 अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों (6 राष्ट्रीय संस्थान, 1 सी.आर.सी., 1 राजकीय संस्थान और 8 गैर सरकारी संगठनों सहित) में कार्यान्वयन
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सितंबर, 2021 से कक्षाओं का प्रारंभ
- पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों के लिए आदर्श भर्ती नियमों का संशोधन (2021)
- ओडीएल कार्यक्रमों के मानदंडों का संशोधन (2021)
- विशेष शिक्षा में डिप्लोमा स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिसरण (2021)
- नई शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला (2021)
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और संशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति की 08 बैठकें (2021)
- आर.सी.आई. अनुमोदित संस्थानों में कार्यरत 2800 संकायों का ऑनलाइन डेटाबेस (2021)
- निरीक्षण दल की नियुक्ति के लिए विशेषज्ञों के यादृच्छिक चयन हेतु ऑनलाइन पोर्टल (2021)

- डिप्लोमा स्तर पर परीक्षा के लिए विशेषज्ञों की 09 ऑनलाइन बैठकें (2021)
- मुक्त व दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञों की 02 ऑनलाइन बैठकें (2021)

ई-गवर्नेंस:

- ई–ऑफिस का कार्यान्वयन (2021)
- ई–सी.आर.आर. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल (2021)
- पुनर्वास पेशेवरों / कार्मिकों के लिए ई–सी.आर.आर. कार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल (2021)
- संपर्क रहित चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली की स्थापना (2021)

प्रशिक्षण संस्थानों के साथ आभासी परिचर्चा सत्र:

- परीक्षा, प्रवेश, मान्यता आदि के संबंध में अपने मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् अनुमोदित संस्थानों के साथ 04 ऑनलाइन परिचर्चा सत्र (2021)
- सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास (2020)
- शैक्षणिक सत्र के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर (2020)
- राज्यवार और श्रेणीवार पंजीकृत पेशेवरों / कर्मियों का डेटाबेस (2020)
- वेबिनार के माध्यम से सी.आर.ई. आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों और मानदंडों का विकास (2020)
- 19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अलग निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्रों का विकास (2020)
- कोविड–19 के दौरान 13 क्षेत्रीय भाषाओं में 640 पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा निःशुल्क परामर्श सेवाएं (2020)
- ऑनलाइन सी.आर.ई. कार्यक्रम (2020)
- 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और संशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक (2020)
- डिप्लोमा स्तर पर परीक्षा के लिए विशेषज्ञों की 8 ऑनलाइन बैठकें (2020)
- मुक्त व दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञों की 4 ऑनलाइन बैठकें (2020)

ई-गवर्नेंस:

- डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल (2020)
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मान्यता हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल (2020)

- डब्ल्यू.एच.ओ. ऑनलाइन कार्यक्रम के संबंध में सी.आर.ई. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और 50 सी.आर.ई. अंक प्रदान करना (2020)
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप की स्थापना (2020)

प्रशिक्षण संस्थानों के साथ आभासी परिचर्चा सत्रः

- परीक्षा, प्रवेश, मान्यता आदि के संबंध में अपने मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थानों के साथ 10 ऑनलाइन इंटरएक्टिव सत्र (2020)
- कोलकाता, देहरादून, नागपुर और कोचीन में 4 क्षेत्रीय पाठ्यक्रम समन्वयकों की बैठक (2019)
- सुशासन के अंतर्गत संस्थाओं की मान्यता हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु आवेदन पत्र का सरलीकरण (2019)
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास एवं पुनरीक्षण के लिए 10 विशेषज्ञ समिति की बैठक
- आर.सी.आई. के विजन दस्तावेज 2020–30 का विकास (2019)
- अनुसंधान पद्धति पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (2019)
- गुवाहाटी में पुनर्वास विशेषज्ञों की राष्ट्रीय बैठक (2019)
- शिलांग में प्रशिक्षण संस्थानों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम (2019)
- आर.सी.आई. में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक (2019)
- आर.सी.आई. में क्षेत्रीय समन्वय समिति की वार्षिक बैठक (2019)

ई-गवर्नेंसः

- ऑनलाइन भुगतान गेटवे का कार्यान्वयन (2019)

वैधानिक सलाह

आर.सी.आई. पंजीकरण के बिना किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संगठन में या व्यक्तिगत रूप से पुनर्वास सेवायें प्रदान करना आर.सी.आई. अधिनियम 1992 (संख्या 34 की धारा 13 (3)) के तहत अपराध है।

आर.सी.आई. 1992 की धारा 13 (1) के अनुसार अनुसूची में शामिल कोई भी योग्यता केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में नामांकन के लिए पर्याप्त योग्यता होगी।

(2) पुनर्वास पेशेवर के अलावा कोई भी व्यक्ति जिसके पास मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता है और जो रजिस्टर में नामांकित है:–

(अ) सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी संस्थान में पुनर्वास पेशेवर या ऐसे किसी भी कार्यालय (चाहे वह किसी भी पद पर हो) के रूप में पद धारण करेगा;

(ब) कहीं भी पुनर्वास पेशेवर के रूप में अभ्यास करेंगे;

(स) पुनर्वास पेशेवर द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित करने के लिए किसी भी कानून द्वारा आवश्यक किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या प्रमाणित करने का हकदार होगा।

(द) दिव्यांगजन से संबंधित किसी भी मामले पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत किसी भी अदालत को विशेषज्ञ के रूप में साक्षय देने का हकदार होगा:

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवर योग्यता है, तो उसे ऐसे प्रारंभ से छह महीने की अवधि के लिए नामांकित पुनर्वास पेशेवर माना जाएगा और यदि उसने छह महीने की अवधि के भीतर रजिस्टर में नामांकन के लिए आवेदन किया है तो तब तक, जब तक कि ऐसे आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उप–धारा (2) के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में कार्य करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

"यह वैधानिक सलाह जनहित में जारी की जाती है"।

अधिक जानकारी हेतु कृपया संपर्क करें:

क्र. सं.	नाम	संपर्क विवरण
1.	**सुश्री अंजली भावड़ा, आईएएस,** सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्षा, भारतीय पुनर्वास परिषद् व राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड	ई–मेल : cprci-depwd@gov.in rci-depwd@gov.in फोन नंबर: 011–26532381
2.	**डॉ. सुबोध कुमार** सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद् एवं सचिव राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड	ई–मेल : msrci-msje@nic.in rci-depwd@gov.in फोन नंबर: 011–26532387
3.	**डॉ. राजेश कुमार वर्मा** सहायक निदेशक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन, सी.आर.आर.	ई–मेल: adprci-depwd@gov.in recogrci-depwd@gov.in फोन नंबर: 011–26532378, Extn-121
4.	**डॉ. संदीप ताम्बे** सहायक निदेशक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास, आंचलिक समन्वय समितियाँ	ई–मेल: adtrci-depwd@gov.in फोन नंबर: 011–26511613, Extn-132
5.	**श्री सन्तोष पाल** सहायक सचिव, प्रशासन एवं लेखा	ई–मेल: asrci-depwd@gov.in फोन नंबर: 011–26532387, Extn-120 / 133
6.	राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड	ई–मेल: nberrci-depwd@gov.in फोन नंबर: 011–26532384, Extn-118 / 147

भारतीय पुनर्वास परिषद्, बी–22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016

दूरभाष: 011–26532408, 26532384, 26534287, 26532816 फैक्स:–011–26534291

ई–मेल: rci-depwd@gov.in

वेबसाईट:- www.rehabcouncil.nic.in